रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271444
CG-DL-E-31032026-271444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948
No. 213]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 232(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, के परिशिष्ट -II में,

(क) "प्ररूप आईटीआर- V" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप आईटीआर- V	**भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन प्ररूप** [जहां आयकर विवरणी के डाटा प्ररुप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है, किंतु इलैक्ट्रानिक रूप में सत्यपित नहीं की गई है] (कृपया आय-कर नियम ,1962 का नियम 12 देखें)	निर्धारण वर्ष 2026-27

नाम			
पैन		प्ररुप संख्या	
धारा ... के अधीन फाइल की गई ।		ई-फाइलिंग पावती संख्या	

सत्यापन

मैं ...., ... का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या... द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य और पूर्ण है तथा वह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं इस विवरणी को मैं ... अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूं। मेरा स्थाई खाता संख्या ....(पैन) है।

हस्ताक्षर ⟶			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आई.पी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			

अनुदेश:

1.यह आय विवरणी फाईल करने का साक्ष्य नहीं है, क्योंकि सत्यापन अभी लंबित है। विवरणी फाईल करने की पावती विवरणी का सत्यापन विनिर्दिष्ट पद्धतियों में से किसी एक के माध्यम से होने के पश्चात ही उपबंधित किया जाएगा।

2. कृपया आप आधार ओटीपी का उपयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के माध्यम से ई-फाइलिंग खाते के लॉगिन या पूर्व में विधिमान्य किए गए बैंक खाते/डीमेट खाते का उपयोग करके ई.वी.सी सृजित या बैंक एटीएम के माध्यम से सृजित ई.वी.सी. का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करें। अनुकल्पतः, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित (नीली स्याही में अधिमानतः) प्ररुप आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा “केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500” को भेज सकेंगे ।

3. प्ररुप आईटीआर-V आय-कर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य रीति से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस प्ररुप आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग खाते में रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।

4. सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी फाइल करने की पावती को आय विवरणी फाइल करने की प्रक्रिया के पूरा होने के सबूत के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. हस्ताक्षर के लिए उपबंधित खाने में ही कृपया हस्ताक्षर करें। आईटीआर-V में दिए गए खाने से भिन्न कहीं और हस्ताक्षर करना अविधिमान्य है।

6. जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है और आईटीआर-v को डाटा के पारेषण से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषण करने की तारीख को आय विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रुप में समझा जाएगा ।

7. जहां आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाता है किंतु आईटीआर-v को डाटा पारेषण करने की तीस दिन की समय-सीमा से परे प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटीआर-v को प्रस्तुत करने की तारीख को आय विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में समझा जाएगा और अधिनियम के अधीन विवरणी विलंब से फाईल करने परिणाम लागू होंगे।”

(ख) आईटीआर प्ररुप -पावती के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात:-

"भारतीय आयकर विवरणी पावती [जहां आयकर विवरणी का डाटा प्ररुप आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल किया गया है, और सत्यापित किया गया है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)				**निर्धारण वर्ष 2026-27**
पैन				
नाम				
पता				
प्रास्थिति		प्ररुप संख्या		
धारा... के अधीन फाइल किया गया		ई-फाइलिंग पावती संख्या		
कराधेय आय और कर ब्यौरे	वर्तमान वर्ष कारबार हानि, यदि कोई हो		1	
	कुल आय		1क	
	मैट के अधीन बही लाभ, जहां लागू हो		2	
	एएमटी के अधीन समायोजित कुल आय, जहां लागू हो		3	
	संदेय शुद्ध कर		4	
	संदेय ब्याज और फीस		5	
	संदेय कुल कर, ब्याज और फीस		6	
	संदत्त कर		7	
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (6-7)		8	
[illegible]	धारा 115नघ के अनुसार समवर्धित आय		9	
	धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त कर		10	
	धारा 115नङ के अधीन संदेय ब्याज		11	
	संदेय अतिरिक्त कर और ब्याज		12	
	संदत्त कर और ब्याज		13	
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (12-13)		14	

तारीख .... को ....आईटी पते से इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित आयकर विवरणी .... द्वारा सत्यापित की गई..पैन रखने वाले.......................................को.................................... .. *पेपर आईटीआर सत्यापन प्ररुप / इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का उपयोग करके ....पद्धति के माध्यम से सृजित किया गया।
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड

***जो लागू न हों, उसे काट दें**

इस पावती को सी.पी.सी,बैंग्लूरू को नहीं भेजे।

[अधिसूचना सं. 51 /2026/फा.सं. 370142/12/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 232(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 2026;

   (2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for Assessment Year 2026-27.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in Appendix II,

   (a) for FORM ITR-V, the following FORM shall, be substituted, namely:—

“FORM ITR-V	**INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM** [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)			**Assessment Year 2026-27**
Name				
PAN		**Form Number**		
Filed u/s		**e-Filing Acknowledgement Number**		

VERIFICATION

I, _______________son/ daughter of___________________, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number ______________________ is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____________________and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____________________.

Signature ⟹			
Date of submission		Source IP address	
System Generated Barcode/QR Code			

Instructions:

1. This is not an evidence for having filed the return of income, as verification is pending. The acknowledgement for having filed the return will be provided only after verifying the return through any of the specified modes.
2. Please e- verify the electronically transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-Filing account through Net-Banking login or EVC generated using Pre-Validated Bank Account/ Demat Account or EVC generated through Bank ATM. Alternately, you may send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITRV to “Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500”, by SPEED POST ONLY.
3. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-filing account.
4. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income
5. Please sign only in the box provided for signature. Signature anywhere else other than the box provided can render the ITR V invalid.
6. Where ITR data is electronically transmitted and ITR-V is submitted within 30 days of transmission of data - in such cases the date of transmitting the data electronically shall be considered as the date of furnishing the return of income.
7. Where ITR data is electronically transmitted but ITR-V is submitted beyond the time-limit of 30 days of transmission of data - in such cases the date of ITR-V submission shall be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of return under the Act shall follow.”

(b) for FORM ITR- Ack, the following FORM shall, be substituted, namely: —

"INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT **[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified]** **(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)**			**Assessment Year** **2026-27**
PAN			
Name			
Address			
Status		**Form Number**	
Filed u/s		**e-Filing Acknowledgement Number**	

Taxable Income and Tax details	**Current Year business loss, if any**	**1**	
	Total Income	**1A**	
	Book Profit under MAT, where applicable	**2**	
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	**3**	
	Net tax payable	**4**	
	Interest and Fee Payable	**5**	
	Total tax, interest and Fee payable	**6**	
	Taxes Paid	**7**	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	**8**	
Accreted Income & Tax Detail	**Accreted Income as per section 115TD**	**9**	
	Additional Tax payable u/s 115TD	**10**	
	Interest payable u/s 115TE	**11**	
	Additional Tax and interest payable	**12**	
	Tax and interest paid	**13**	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (12-13)	**14**	

Income Tax Return electronically transmitted on DD-MM-YYYY 00:00:00 **from IP address** ___________________ **and verified by**__________________________ **having PAN**_________________ **on** ______________________**using** *__paper ITR-Verification Form / Electronic Verification Code__ ____________________ **generated through** ____ **mode**

System Generated Barcode/QR Code

* *Strike off whichever is not applicable*

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU."

[Notification No. 51 /2026/F. No.370142/12 /2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note.- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification GSR 231 (E), dated the 30th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA